



2026:AHC:43260-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2026 की 4279

मंतशा सिद्दीकी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिनव जायसवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:—
 - (i). एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.12.2024 के अनुसरण में विवेचना संपन्न करने का निर्देश दिया जाए, जो अपराध संख्या (प्रथम सूचना रिपोर्ट) 0284 वर्ष 2024, धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3 व 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत थाना- कोतवाली, जनपद- कानपुर नगर में पंजीकृत है।
 - (ii). कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।
 - (iii). याचिकाकर्ता को रिट याचिका का वाद व्यय प्रदान किया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. दिनांक 25.12.2024 को पंजीकृत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर, जनपद कानपुर नगर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यदि पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

ज़फर